रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 133] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 1979/आषाढ़ 8, 1901
No. 133] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 1979/ASADHA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 43 ईटीसी (पी एन)/79

विषय.—1-1-1979 से 31-12-79 तक खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत कपास, ऊन और मानव-निर्मित रेशों से बने वस्त्रों का संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों को निर्यात करने के लिए योजना।

फा० 2/26/78 ई 1.—उपर्युक्त विषय पर निर्यात नियंत्रण (संशोधन आदेश सं० ई(सी) ओ० 1977/ए एम(85) दिनांक 1-1-79 और सार्वजनिक सूचना सं० 2-ईटीसी (पी एन)/79 दिनांक 1-1-79 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. यह योजना कोटा वर्ष, 1 जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 के लिए (क) 106 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के संयुक्त राज्य अमरीका को और (ख) 114 श्रेणियो के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों अर्थात् पश्चिमी जर्मनी, फ्रान्स, इटली, बेनिलक्स, यू० के०, आयरिश गणतन्त्र और डेन्मार्क को निर्यातों से संबंधित है।

3. सार्वजनिक सूचना सं० 2-ईटीसी(पी एन)/79 दिनांक 1/1-79 में परिगणित किए गए विभिन्न मदों के लिए कोटा नियत करने का काम करने के लिए अभिकरण उक्त सार्वजनिक सूचना मे उल्लिखित किए गए के अनुसार कोटा नियत करने का काम तब तक करते रहेंगे, जब तक कि किसी भी अन्य अभिकरण के लिए कार्य का कोई भाग हस्तांतरित करने के लिए किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाता है। सरकार को यह अधिकार है कि कोटा नियत करने के लिए अभिकरणों के संबंध में जैसा वह उचित समझे, 1-7-79 से 21-12-1979 के दौरान या उसके बाद परिवर्तन करे।

4. वस्त्रो और बनी बनाई वस्तुओ के लिए 1-7-79 से 31-12-79 तक वही नीति लागू रहेगी जैसा कि सार्वजनिक सूचना सं० 2-ईटीसी (पी एन)/1979 दिनांक 1-1-1979 में निर्धारित की गई है।

5 पौशाको और बुने हुए वस्त्रों के लिए दूसरे आधे वर्ष के दौरान उपयोग करने के लिए सविदाओं के आरक्षण के लिए आवेदन पत्र उन श्रेणियों के लिए आमंत्रित किए गए हैं जिनमें 30-4-1979 तक पोतलदान के लिए पास की गई मात्रा वार्षिक स्तर के 50% से कम है। संविदाओं के आरक्षण के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित करते समय इस बात पर जोर दिया गया है कि पोतलदान 31-10-1979 तक पूरे कर लिए जाने चाहिए। संविदा आरक्षण के अन्तर्गत कोटे का वास्तविक आवंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाएगा और यह परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के आधार पर जैसा अनुमान लगाया जाए 30-6-1979 को वार्षिक स्तर से उपलब्ध शेष का 50% होगा। सरकार को यह अधिकार होगा कि जैसा वह समय-समय पर उचित समझे यह पोतलदान की अंतिम तारीख के संबंध में कोई आवश्यक परिवर्तन करे और जैसा कि ऊपर बताया गया है उसके प्रतिशत में भी परिवर्तन करे। गणना के इस उद्देश्य के लिए वार्षिक स्तर को लोचदार व्यवस्था के कारण हुई वृद्धि को शामिल नहीं किया जाएगा।

6. अमरीका को श्रेणी 341, फ्रान्स को श्रेणी 7 और 26, डेन्मार्क को श्रेणी 7 और इटली को श्रेणी 26 के संबंध में जहां दूसरे आधे वर्ष के लिए संविदा का आरक्षण कर लिया गया था वहां संविदा के आरक्षण

के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी और उपलब्ध शेष का आबंटन तैयार माल के लिए पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाएगा । इसके अलावा उन सभी श्रेणियों के मामले में जहां 30-4-1979 को पोतलदान के लिए स्वीकृत मात्रा वार्षिक स्तर पर 50% से अधिक हो गई थी जहां 30-6-1979 को उपलब्ध शेष का आबंटन केवल तैयार माल के अधीन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर किया जाएगा ।

7. एफ सी एफ एस तैयार माल और एफ सी एफ एस पक्की संविदा आरक्षण दोनों के अधीन कोटे के 20% का आबंटन उच्च मूल्य की मदों के लिए किया जाएगा । उस मामले में जहां पहले उच्च मूल्य आबंटन के लिए भाग खत्म हो जाता है सो उच्च मूल्य के माल स्वाभाविक रूप से अन्य सामान के साथ साथ अन्य भाग के लिए पात्र होंगे । इस प्रयोजन के लिए न्यूनतम मूल्य के लिए दो सेट रहेंगे—एक वह जो 20% आबंटन के अन्तर्गत आने वाली उच्च मूल्य की मदों के बारे में होगा और दूसरा वह जो कि आबंटन के शेष 80% के अन्तर्गत आने वाली मदों के लिए अन्य मूल न्यूनतम मूल्य के बारे में होगा । प्रथम आधे वर्ष के लिए घोषित न्यूनतम मूल्य दूसरे आधे वर्ष के लिए भी लागू होगा। सूती पोशाकों और निटवीयर के लिए कोटे के आबंटन साख पत्र के आधार पर किए जाएंगे । पहले आए सो पहले पाए के आधार पर तैयार माल के आबंटन के लिए साख-पत्र कोटे के पृष्ठांकन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए । पहले आए सो पहले पाए के आधार पर संविदा आबंटन के लिए साख पत्र 10-7-79 तक किए गए आवेदन पत्रों और साथ ही साथ इसके बाद किए गए आवेदन पत्रों के लिए उपलब्ध होना चाहिए । इसमें असमर्थ रहने पर तैयार माल और पक्की संविदा आरक्षण दोनों के लिए कोटे के आबंटन नहीं किए जाएंगे ।

8. पहले आए सो पहले पाए के आधार पर तैयार माल के लिए कोटे के आबंटन के मद्दे पोतलदान, कोटे के पृष्ठांकन की तारीख से 10 दिनों के भीतर ही प्रभावी करने होंगे । आगे वस्त्र आयुक्त या उसके प्रतिनिधि द्वारा विशिष्ट प्राधिकार के आधार पर विशेष मामलों में उचित कारण देकर इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है ।

9. पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पक्की संविदा के आबंटन और एफ सी एफ एस तैयार माल के आबंटन दोनों के मामले में यदि अन्तिम तिथि को कोटे की उपलब्धता से अधिक प्रस्ताव हों तो इन प्रस्तावों में से एक को चुनना होगा और इस प्रयोजन के लिए चुनाव एकक मूल्य के आधार पर किया जाएगा । ऐसी सम्भावित स्थिति में उच्च एकक-मूल्य ही निकष होगा ।

10. जहां कहीं सूती ऊनी और हाथ से बुने वस्त्रों के मद्दे के लिए कोटा सम्मिलित किया जाता है तो मांग की स्थिति को देखते हुए वस्त्र आयुक्त द्वारा समुचित मात्रा सुरक्षित रखी जाएगी और प्रदान की जाएगी ।

11. उन मामलों में जहां आबंटन के लिए हथकरघा और मिल द्वारा बनाए हुए मदों को इकट्ठा किया जाता है, अमरीका के मामले में दूसरों के लिए हथकरघा का अनुपात 2 : 1 होगा । जब कि अन्य क्षेत्रों के लिए यह 1 : 1 होगा । मांग की स्थिति को देखते हुए इन अनुपातों में संशोधन भी किए जा सकते हैं ।

12. इस उद्देश्य के लिए मनोनीत निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जारी किए गए अलग-अलग परेषणों के लिए पोत परिवहन बिलों की मूल और द्वितीय प्रति पर कोटा पृष्ठांकन के आधार पर पोतलदानों की अनुमति सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पत्तनों पर दी जाएगी । लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका के संबंध में पोतलदानों की अनुमति देने से पहले सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए गए विशेष सीमाशुल्क बीजक सं० 5515 पर सीमा शुल्क प्राधिकारी सीमा पृष्ठांकन का भी सत्यापन करेंगे । यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों को निर्यातों के सम्बन्ध में कोटा पृष्ठांकन के साथ सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद अथवा इस सम्बन्ध में अन्य दूसरी कोई संस्था निर्यात प्रमाणपत्र और अलग-अलग सीमा श्रेणी रखने वाले श्रेणियों के लिए उद्गम प्रमाणपत्र और अलग-अलग सीमा श्रेणी न रखने वाली अन्य श्रेणियों के उद्गम प्रमाणपत्र जारी करेगी ; ये प्रमाणपत्र गन्तव्य स्थानों पर निकासी प्राप्त करने के लिए आयातकों को भेजने के लिए होंगे ।

13. इस योजना के अन्तर्गत शामिल वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की सूचियां सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद के पास उपलब्ध हैं ।

14. जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय को हथकरघा वस्त्रों, हथकरघा वस्त्रों से बनी वस्तुओं और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के संबंध में श्रेणी 7, 8, 26 और 27 श्रेणियों से भिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले हथकरघा वस्त्रों से तैयार बनी हुई पोशाकों के संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यात का संबंध है पोतलदानों की अनुमति सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों अथवा अन्य प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा कोटा पृष्ठांकन की आवश्यकताओं के बिना सीमा-शुल्क कार्यालय द्वारा वस्त्र समिति के प्रमाणपत्र के आधार पर दी जाएगी । संयुक्त राज्य अमरीका को श्रेणी 336, 340, 341, 347 और 348 के अन्तर्गत आने वाले हथकरघा की पोशाकों के निर्यात के लिए वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणपत्र परिधान निर्यात संवर्धन परिषद अथवा इस प्रयोजन के लिए मनोनीत अथवा अन्य कोई प्राधिकृत संस्था द्वारा कोटा आबंटन के आधार पर जारी किया जाएगा ।

15. जो भारतीय मदें विशेष रूप से भारतीय परम्परागत लोकवस्त्र उत्पाद हैं उनके संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय को निर्यातों के लिए अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड या वस्त्र समिति द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाणपत्रों के आधार पर सीमा-शुल्क विभाग द्वारा अनुमति दी जाएगी । भारत मदों के रूप में प्रमाणित मदों के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोत परिवहन बिलों के पृष्ठांकन के लिए सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों या किसी अन्य विधिवत् प्राधिकृत निकाय द्वारा किसी भी कोटा पृष्ठांकन की आवश्यकता नहीं होगी ।

16. वस्त्र आयुक्त, बम्बई या उसके द्वारा मनोनीत कोई अधिकारी कोटा निर्धारण से सम्बन्धित मामलों पर दिन प्रति दिन पर्यवेक्षण रखेगा । विभिन्न सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधियों सहित वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति समय-समय पर परिस्थिति की पुनरीक्षा करेगी । वस्त्र आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह एक खण्ड से दूसरे खण्ड में परिवर्तन कर दे और यह यथा प्राधिकृत मांग की प्रवृत्ति पर निर्भर करेगा ।

17. पोशाकों और सिलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए कोटा आबंटन के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10% मूल्य के लिए आवेदक द्वारा निष्पादन बाण्ड पहले आए सो पहले पाए पक्की संविदा के आधार पर आबंटन के लिए आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा । पहले आए सो पहले पाए तैयार माल के आधार पर कोटा निर्धारण के मामले में प्रति नग एक रुपया या जहाजपर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10% जो भी अधिक हो, की दर पर अग्रिम धन आवेदक को कोटा पृष्ठांकन के समय जमा करना होगा । यदि कोटा आबंटन/कोटा पृष्ठांकन का वैधता अवधि के भीतर 90% से कम उपयोग होगा तो निर्यात का साक्ष्य प्रस्तुत करने पर जमा किए गए अग्रिम धन/बाण्ड निष्पादन की पूर्ण धनराशि वापिस कर दी जाएगी । यदि कोटा निर्धारण का उपयोग 90% से कम होगा तो निष्पादन बाण्ड की पूर्ण धनराशि के लिए जुर्माना किया जाएगा और जमा किया गया पूर्ण अग्रिम धन जब्त किया जा सकता है । आगे यदि कोटे का अभ्यर्पण आबंटन के 25% से अधिक हो तो ऐसे आबंटी के लिए आगे कोटा आबंटन को मना करने पर विचार किया जा सकता है । लेकिन प्रधान शक्ति की शर्तों में उपयुक्त छूट पर विचार किया जा सकता है ।

18. केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों/राज्य सरकार के निगमों के लिए विशेष कोटे का आबंटन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकतम सम्भव सीमा तक किया जाएगा ।

19. निर्यात की अनुमति भारत के भारत में किसी भी पत्तन से दी जाएगी ।

20. निर्यात संवर्धन परिषदों के पते निम्नलिखित अनुसार हैं :—

1. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद,
"इन्जीनियरिंग सैन्टर",
9, मैथ्यू रोड, पांचवी मंजिल,
बम्बई-400004

2 परिधान निर्यात संवर्धन परिषद,
सहयोग बिल्डिंग, चौथी मंजिल,
50-नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

3 ऊन और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद,
714, अशोक एस्टेट,
24, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001

21. उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अनुसार जिन व्यक्तियों को आबंटित किया गया है लेकिन जो उसको पूर्ण रूप से उपयोग में नहीं लाते हैं उनके विरुद्ध जो इस सम्बन्ध में अन्य कार्रवाई की जा सकती है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ही उन्हें भविष्य में कोटा प्राप्त करने के लिए घोषित किया जा सकता है ।

ह०/- (सी० वेंकटरमन)
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

New Delh, the 29th June, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE No. 43-ETC (PN)/79

Subject : Scheme for exports under OGL 3 of textiles made from cotton, wool and man-made fibres to USA EEC member States from 1-7-1979 to 31-12-1979.

F. No. 2/2G./78/EI.—Attention is invited to the Export (Control) Amendment Order No. E(C)O, 1977/A M(85) dated 1-1-1979 and Public Notice No. 2-ETC(PN)/79 dated 1-1-1979.

2. This scheme relates to the export of textiles (a) falling under 106 categories to the USA and (b) 114 categories to the EEC Member States, namely West Germany, France, Italy, Benelux, UK, Irish Republic and Denmark for the period, 1st July 1979 to 31st December 1979.

3. The agencies for handling the quota allocation for various items, as enumerated in Public Notice No. 2-ETC(PN)/79 dated -1-1979 would continue to handle quota allocation as mentioned therein until any decision is taken to transfer any part of the work to any other agency. The Government reserves the right to make changes as considered appropriate during the period, 1-7-1979 to 31-12-1979 or thereafter, with regard to the agencies for quota allocation.

4. For fabrics and made-up articles, the same policy, as outlined in Public Notice No. 2-ETC (PN)/79 dated 1-1-1979 would continue during the period, 1-7-1979 to 31-12-1979.

5. For garments and knitwear, applications for reservation of contracts for utilisation during the second half year have been invited in respect of those categories where quantity passed for shipment upto 30-4-1979 is less than 50 per cent of the annual level. While inviting applications for contract reservation, it has been insisted that shipment should be completed within 31-10-1979. Actual allotment of the quotas under contract reservation would be on first-come-first served basis, and would be 50 per cent of balance available from the annual leave as on 30-6-1979, as may be estimated on the basis of latest figures available with the Apparel Export Promotion Council Government would have the right to make necessary changes with regard to the last date of shipment and also the percentages as mentioned above, as considered appropriate from time to time. For the purpose of this computation, annual level will not include increases on account of flexibility provisions.

6. With regard to category 341 to America category 7 and 26 to France, category 7 to Denmark and category 26 to Italy where second half contract reservation was earlier drawn, no contract reservation would be allowed and balance available would be allocated on ready goods under first come-first-served basis. Moreover, in case of all those categories where the quantities passed for shipment as on 30-4-1979 had exceeded 50 per cent of the annual level, the balance available as on 30-6-79 would be allocated only under ready goods on first-come-first-served basis.

7. Under both FCFS ready goods and FCFS firm contract reservation, 20 per cent of the quota will be allocated for higher value items. In case the portion for higher price allocation gets exhausted first, the goods with higher price will naturally have the eligibility in the other portion along with the other goods. For this purpose there will continue to be two sets of floor prices—one relating to higher value items covered by 20 per cent allocation, and the other basic floor price for items covered by the remaining 80 per cent of the allocation. Floor prices announced for the first half will be applicable to 2nd half also. Quota allocation for cotton garments and knitwear will be made on L C terms. For first-come first-served ready goods allocation, LC should be produced at the time of quota endorsement. For first-come first-served firm contract allocation, LC should be available by 10-7-79 for applications made up to that date and along with the applications made after that date. Failing this, in both ready goods and firm contract reservation, quota allocation will not be made.

8. Shipment against quota allocation on first-come first-served ready goods basis will have to be effected within 10 days from the date of quota endorsement. Further, this period can be extended for valid reasons in exceptional cases on specific authorisation from the Textile Commissioner or his representative.

9. Both in the case of first-come-first-served firm contract allocation and FCFS ready goods allocation, if the offers are more than the quota availability on the terminal date, a choice among offers may have to be made and for this purpose, selection will be made on the basis of unit price. The higher unit price will be the criterion in such an eventuality.

10. Wherever the quotas for cotton, woollen and man-made fibre items are combined, appropriate quantities will be reserved and provided by the Textile Commissioner depending upon the demand trend.

11. In cases where the handloom and mill-made items are clubbed together for allocation, the ratio of handloom to others in the case of the USA will be 2 : 1; whereas it will be 1 : 1 for other areas. These ratios may be amended depending upon the trend of demand.

12. Shipment will be allowed by the Customs authorities at the ports of shipment on the basis of quota endorsement on the original and duplicate of the shipping bills for individual consignments issued by the Export Promotion Council or any other appropriate body designated for this purpose. In respect of USA, however, before allowing shipments, the Customs authorities would also verify the visa endorsement on the special customs invoice No. 5515 issued by the Export Promotion Council concerned or any authorised body prescribed for this purpose, including their representatives. In respect of exports to EEC Member States, alongwith the quota endorsement, the Export Promotion Council concerned or, any other body, duly authorised in this behalf will issue export certificate and certificate of origin for categories having individual category limits, and certificate of origin in respect of other categories not having individual category limits for forwarding these certificates to importers for obtaining clearance at the destination.

13. The list of categories of textile products covered under the scheme are available with the Export Promotion Council and other bodies concerned.

14. In so far as exports to USA and EEC of handloom fabrics, made-up articles made from handloom fabrics and woven garments made from handloom fabrics falling under categories other than categories 7, 8, 26 and 27 in respect of EEC are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of the certification by the Textiles Committee without the requirements of quota endorsement by the Export Promotion Council or other authorised bodies con-

cerned. In case of handloom garments falling under categories 336, 340, 341, 347 and 348 for exports to USA, certification by the Textiles Committee will be issued on the basis of the quota allotment by the Apparels Export Promotion Council or any other authorised body designated for this purpose.

15. In respect of 'India Items' which are typically Indian traditional folklore textile products, shipments will be permitted by the Customs for exports to USA and EEC on the basis of appropriate certificates issued by the All India Handicrafts Board or the Textiles Committee. For items specified as 'India Items' no quota endorsement by the Export Promotion Council concerned or by any other duly authorised body will be required, for endorsement of the shipping bills by the Customs authorities.

16. The Textile Commissioner, Bombay, or an officer designated by him will have a day-to-day supervision over the matters relating to quota allocation. The Coordination Committee, with the Textile Commissioner, as the Chairman and representatives of various Export Promotion Councils concerned and other authorised bodies will review the situation from time to time. Textile Commissioner will have the authority to make changes from one segment to the other depending on the demand trend as authorised.

17. For garments and knitwear, performance bond for a value of 10 per cent of the f.o.b. value of quota allotment will have to be submitted by the applicant along with application for quota allocation on first-come-first-served firm contract basis. In the case of quota allocation on first-come-first-served ready goods basis, earnest money at the rate of Re. 1 per piece or 10 per cent of the f.o.b. value, whichever is higher, will have to be deposited by the applicant at the time of quota endorsement. If the utilisation within the validity period of quota allotment/quota endorsement is not less than 90 per cent, full amount of earnest money deposit/performance bond will be refundable on production of evidence of exports. If the utilisation of quota allocation is less than 90 per cent, penalty for the full amount of the performance bond will be imposed, and the full earnest money deposit will be liable to be forfeited. Further, if the surrender of the quota is in excess of 25 per cent of allotments, refusal of further quota allotment for such allottees may be considered. However, in conditions of 'force majeure', appropriate exemptions may be considered.

18. For Central Government undertakings/State Governments Corporations, special quota allocation will be made to meet their requirements to the extent possible.

19. Exports will be allowed from any port in India

20. The addresses of Export Promotion Councils are as follows:-

1. The Cotton Textiles Export Promotion Council,
'Engineering Centre' 9, Mathew Road, 5th Floor,
Bombay-400004.

2. Apparels Export Promotion Council,
Sahayog Building, 4th Floor,
58, Nehru Place,
New Delhi-110019.

3. Wool and Woollens Export Promotion Council,
714, Ashoka Estate,
24, Barakhamba Road,
New Delhi-110001.

21. Persons to whom quotas are allowed in accordance with the above arrangements but who do not utilise them fully would be liable to disqualification from getting future quotas without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

C. VENKATARAMAN, Chief Controller
of Imports and Exports
Attested

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979